वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 4158 / गोप0 / प्रायो0 / 23 दिनांकः 27.09.2023

सेवा में,

(1) समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय, परिसर

(2) प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर (उ0प्र0)

विषय :– स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना **(Research Project)** का संयुक्त प्रबन्ध **(Project Report/ Dissertation) के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि सत्र 2022–23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शोध परियोजना के संयुक्त प्रबन्ध के मूल्यांकन के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 25.09.2023 में निम्नवत् निर्णय लिया गया है–

(I). शोध परियोजना के संयुक्त प्रबन्ध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के सम्बन्धित विषय के सुपरवाईजर द्वारा 100 अंकों में करके अंक विश्वविद्यालय को आनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा तथा अंकपर्ण की हस्ताक्षरित मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा करायेंगे। शोध पत्र की मूल प्रति सुरक्षित रखे तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें।

(II). शोध परियोजना के संयुक्त प्रबन्ध के मूल्यांकन में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अधिकतम 85 प्रतिशत तक अंक प्रदान किया जाय। यदि किसी छात्र को 55 प्रतिशत से कम एवं 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में परीक्षक द्वारा विशेष अभ्युक्ति अंकित की जायेगी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे संयुक्त प्रबन्ध का परीक्षण विशेषज्ञ समिति से कराया जा सकता है।

(III). यदि कोई विद्यार्थी अपनी शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र **UGC Care Listed Journal** में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन (पूर्णांक 100 मे से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं। प्राप्तांक अधिकतम् 100 ही होंगे।

(IV). ऐसे महाविद्यालय जहॉ सम्बन्धित विषय के शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, उनके प्राचार्य द्वारा समीपस्थ राजकीय / अनुदानित महाविद्यालय के सम्बन्धित विषय के प्राध्यापक से शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कराना सुनिश्चित किया जोयगा।

(V). शोध परियोजना के संयुक्त प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु कुल रू0 40 / – प्रति शोध प्रबन्ध देय होगा।

नोटः– उक्त निर्णय केवल सत्र 2022–23 के लिए ही लागू होगा तथा इसे दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि परीक्षा समिति के निर्णयानुसार अपने महाविद्यालय के सत्र 2022–23 से सम्बन्धित शोध परियोजना के संयुक्त प्रबन्ध का मूल्यांकन कराकर अंक दिनांकः 07.10.2023 तक आनलाइन उपलब्ध कराते हुए उसकी हस्ताक्षरित प्रति अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय के गोपनीय अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समाचार सम्पादक, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में किसी ऐसे पृष्ठ पर जो पूर्वांचल के समस्त जनपदों में पहुँचता हो, उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. वेबमास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वित्तअधिकारी जी / कुलसचिव जी / उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव।
5. वरिष्ठ आशुलिपिक, परीक्षा नियंत्रक
6. गार्ड फाईल।

उप कुलसचिव
(गोपनीय)